आचार-संहिता

(मार्च 2000 में वैंकोवर में आयोजित आईएलटीए की वार्षिक बैठक में स्वीकृत)

अंतर्राष्ट्रीय भाषा परीक्षण संघ (आईएलटीए) द्वारा तैयार की गई आचार-संहिता के सिद्धांतों का यह पहला समुच्चय है, जो नैतिकता के दर्शन पर आधारित है और एक अच्छे पेशे से सम्बन्धित आचरण के लिये मार्गदर्शन का कार्य करता है। यह न तो एक क़ानून है और न ही एक नियम है और यह अभ्यास के लियेदिशानिर्देश भी प्रदान नहीं करता,बल्कि इसका अभिप्राय भाषा के सभी परीक्षकों के लिये एक संतोषजनक नैतिक व्यवहार का मानदंड प्रदान करना है। यह एक अलग अभ्यास-संहिता (जो प्रगति में है) के साथ सम्बद्धहै। यह आचार-संहिता उपकारिता,अहानिकारिकता,न्याय,स्वायत्तता और नागरिक समाज के लिये सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित है।

यह आचार-संहिता 9 मौलिक सिद्धांतों की पहचान करती है, जिनमें से प्रत्येक को व्याख्याओं की श्रृंखला द्वारा विस्तार से बताया गया है, जो सामान्यतया सिद्धांतों की प्रकृति को स्पष्ट करती हैं; वह यह निर्धारित करती हैं कि 'आईएलटीए' के सदस्यों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, या अधिक सामान्य रूप से उनका अपना आचरण कैसा होना चाहिए, या उनकी अथवा उनके पेशे की क्या महत्वकांक्षा होनी चाहिये; और यह इन सिद्धांतों को लागू करने में होने वाली कठिनाइयों और अपवादों की पहचान करती हैं। ये व्याख्याएं,यह स्पष्ट करते हुए कि आचार-संहिता के अनुसार न चलने से गंभीर दंड मिल सकता है, जैसे कि 'आईएलटीए' आचार समिति की सलाह पर 'आईएलटीए' की सदस्यता रद्द करना जैसे प्रतिबंधों की अधिक विस्तार से जानकारी देती हैं। यद्यपि यह संहिता इससे मिलती-जुलती अन्य आचार सम्बन्धी संहिताओं से उत्पन्न हुई है, (इतिहास में पीछे जाते हुए), यह सारे विश्व में निरंतर बदलते रहने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में संतुलन को दर्शाने का प्रयास करती है और इसी कारण से भाषा के परीक्षकों द्वारा सम्बद्ध अभ्यास संहिता के संयोजन से इसकी विवेचना की जानी चाहिये।

सभी पेशे-सम्बन्धी संहिताओं को पेशे-सम्बन्धी विवेक और निर्णय के बारे में बताना चाहिये। यह 'आईएलटीए' की संहिता भाषा परीक्षकों को उनके लिये अन्य संहिताओं द्वारा, जिनके वह सदस्य हैं, निर्धारित दायित्वों और जिम्मेदारियों से या फिर वैधानिक संहिताओं, राष्ट्रीय एवँ अंतरराष्ट्रीय दोनों ही, जो उन पर लागू हो सकते हैं, के अंतर्गत उनके कर्तव्यों से मुक्त नहीं करती।

भाषा परीक्षक नैतिकता के स्वतन्त्र प्रतिनिधि होते हैं और कभी-कभी उनका रवैया व्यक्तिगत नैतिकता का भी हो सकता है, जिनका टकराव कुछ प्रक्रियाओं में भाग लेने में हो

सकता है। नैतिक रूप से वह कुछ प्रक्रियाओं में, जो उनकी व्यक्तिगत नैतिक आस्था का उल्लंघन करती हैं, भाग लेने से इनकार कर सकते हैं। भाषा परीक्षक जो रोजगार के ऐसे पदों को स्वीकार करते हैं, जहाँ वे यह अनुमान लगा सकते हैं कि उन्हें उन स्थितियों में शामिल होने के लिए कहा जा सकता है, जो उनकी आस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने नियोक्ता या भावी नियोक्ता को इस तथ्य से अवगत कराएँ।नियोक्ता और सहकर्मियों की यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे भाषा परीक्षकों के साथ उनके कार्यस्थल पर कोई भेदभाव न किया जाए।

आचार संहिता में अभ्यास संहिता (जो वर्तमान में 'आईएलटीए' द्वारा तैयार की जा रही है) के द्वारा दृष्टान्त दिये गये हैं।जबकि आचार संहिता पेशे की नैतिकता और आदर्शों पर केंद्रित है! अभ्यास संहिता पेशे में अभ्यास के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पहचान करती है और व्यावसायिक कदाचार और अव्यावसायिक आचरण का स्पष्टीकरण करती है।

आचार-संहिता और अभ्यास संहिता दोनों को ही जरूरतों और परिवर्तनों के प्रति पेशे में प्रतिक्रियाशील होने की आवश्यकता है और, समय के साथ, भाषा की जाँच और समाज में बदलाव के जवाब में इन संहिताओं में संशोधन की आवश्यकता होगी। यदि ऐसी कोई आवश्यकता होगी, तो आचार-संहिता की समीक्षा पांच साल में या उससे पहले की जाएगी।

सिद्धांत 1

भाषा परीक्षकों को अपने प्रत्येक परीक्षा देने वाले की मानवता और गौरव का सम्मान करना होगा। वह जितना संभव हो सके,उन्हें पेशे-सम्बन्धी उतना महत्व प्रदान करेंगे और अपनी भाषा परीक्षण सेवा प्रदान करते हुए सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं,मूल्यों और संस्कृतियों का सम्मान करेंगे।

व्याख्या

• भाषा परीक्षक परीक्षा देने वालों के साथ न तो उम्र, लिंग, जाति, जातीयता, यौन-अभिविन्यास, भाषाई पृष्ठभूमि, पंथ, राजनीतिक संबद्धता या धर्म के आधार पर भेदभाव करेंगे और न ही उनका शोषण करेंगे और न ही जानबूझकर अपने मूल्यों को, (उदाहरण के लिए सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और वैचारिक), जिस सीमा तक उन्हें उनके बारे में जानकारी है, परीक्षा देने वालों पर थोपेंगे।

• भाषा परीक्षक कभी भी अपने परीक्षा देने वाले आसामियों का शोषण नहीं करेंगे और न ही

उन तरीकों से उन पर प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे जो उनके दवारा प्रदान की जाने वाली सेवा के लक्ष्यों के साथ या जो जाँच-पड़ताल वह कर रहे हैं, के साथ सम्बन्धित हैं।

• भाषा परीक्षकों और उनके परीक्षा देने वालों के बीच यौन संबंध हमेशा ही अनैतिक होते हैं।

• शिक्षण और भाषा की जाँच पर शोध, जिसमें परीक्षा देने वालों (छात्रों सहित) का उपयोग शामिल है, के लिये उनकी सहमति की आवश्यकता है; इसमें उनकी गरिमा और गोपनीयता के लिए सम्मान की आवश्यकता भी है। जो लोग इसमें शामिल हैं, उन्हें यह सूचित किया जाना चाहिए कि उनके भाग लेने से इनकार करने की स्थिति में, भाषा परीक्षक की सेवा (शिक्षण, अनुसंधान, विकास, प्रशासन में) की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। परीक्षा देने वालों के लिये सभी प्रकार के माध्यमों (कागज, इलेक्ट्रॉनिक, वीडियो, ऑडियो) का गौण उपयोग करने से पहले सूचित सहमति की आवश्यकता है।

• भाषा परीक्षक सारी सम्पन्न जानकारी सभी प्रासंगिक दावेदारों को जितना सम्भव हो सके, उतने अर्थवान तरीके से, बताने का प्रयास करेंगे।

• जहां भी संभव हो सके, परीक्षा देने वालों से उनके हित से सम्बन्धित सभी मामलों बारे में परामर्श किया जाना चाहिए।

सिद्धांत 2

भाषा परीक्षकों द्वारा अपने पेशे के सम्बन्ध में प्राप्त की गई जानकारी को भरोसेमंद रूप में अपने पास रखना होगा और इस जानकारी को सांझा करने के लिये अपने निर्णय का वह पेशेवररूप से उपयोग करेंगे।

व्याख्या

• फोटोकॉपी की गई सामग्रियों और प्रतिरूप, कंप्यूटर द्वारा ली गई परीक्षाओं के अभिलेख और डेटा बैंकों, विभिन्न स्रोतों से अधिक उत्तरदायित्व की माँग और परीक्षा देने वालों से ली गई जानकारी की व्यक्तिगत प्रकृति के व्यापक उपयोग को देखते हुए, भाषा परीक्षकों का यह दायित्व बनता है कि वह परीक्षा देने वालों के गोपनीयता के अधिकार का सम्मान करें और परीक्षक-परीक्षा देने वालों के विषय से सम्बद्ध सारी जानकारी को सुरक्षित रखें।

• गोपनीयता को सम्पूर्ण तरीके से नहीं रखा जा सकता, विशेषतया वहाँ जहाँ अभिलेख उन छात्रों से सम्बन्धित होते हैं, जो प्रवेश और नियुक्ति के लिये प्रतियोगिता में भाग लेते हैं।

गोपनीयता को भाषा परीक्षक के पेशे से सम्बन्धी कर्तव्य के मूलभूत पहलू के रूप से सुरक्षित रखने और परीक्षक की समाज के प्रति जो व्यापक जिम्मेदारी है, में सावधानीपूर्वक एक संतुलन बनाए रखना चाहिए।

• परीक्षा देने वालों को छोड़ कर अन्य स्रोतों से सीधे एकत्रित की गई जानकारी (उदाहरण के लिये,उन विद्यार्थियों, जिनकी परीक्षा ली जा रही है, के अध्यापकों से जुडी हुई) भीगोपनीयता के इन्ही नियमों के अधीन आती है।

• प्रकटीकरण करने पर वैधानिक आवश्यकताएं हो सकती हैं, उदाहरण के लिए, जहाँ भाषा परीक्षक को एक कानूनी अदालत या न्यायाधिकरण में एक विशेषज्ञ गवाह के रूप में बुलाया जाता है, ऐसी परिस्थितियों में, भाषा परीक्षक को गोपनीयता बनाये रखने के उसके पेशे से सम्बन्धित कर्तव्य से मुक्त कर दिया जाता है।

सिद्धांत 3

भाषा परीक्षकों को कोई भी परीक्षा, प्रयोग, उपचार या अन्य शोध गतिविधि को करते हुए राष्ट्रीय एवँ अंतराष्टीय मार्गदर्शिकाओं में सम्मिलित सभी प्रासंगिक नैतिक सिद्धांतों पर दृढ रहना चाहिए।

टिप्पणी

• भाषा परीक्षण की प्रगति,जिसमें अवश्यम्भावी रूप से मानव सम्मिलित होते हैं, अनुसंधान पर निर्भर करती है। इस अनुसंधान को सामान्य रूप से स्वीकृत शैक्षिकजाँच-पड़ताल के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए,पेशे से सम्बन्धित साहित्य के विस्तृत ज्ञान पर आधारित होना चाहिए; और उनका नियोजन और कार्यान्वयन उच्च मानदंडों के अनुसार होना चाहिए।

• सभी अनुसंधानों को उचित होना चाहिए; अर्थात उन मे प्रस्तावित अध्ययनों से यथोचित रूप से पूछे गये सभी प्रश्नों के उत्तरों की अपेक्षा की जाएगी।

• जिस व्यक्ति पर अनुसंधान किया जा रहा है, उसके मानवीय अधिकार को हमेशा ही विज्ञान या समाज के ऊपर प्राथमिकता दी जायेगी।

• जहाँ जिस व्यक्ति पर अनुसंधान किया जा रहा है, उसके लिये सम्भावित असुविधाएं या जोखिम हों, तो उस शोध के लाभों को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन इन असुविधाओं या जोखिमों को उचित ठहराने के लिये उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि अप्रत्याशित

रूप से हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं, तो हमेशा ही ऐसे अनुसंधान को रोक देना चाहिए या उसे संशोधित करना चाहिए।

• यह सुनिश्चित करने के लिए कि अध्ययन उच्चतम, वैज्ञानिक और नैतिक मानकों के अनुरूप है, एक स्वतंत्र आचार समिति को सभी अनुसंधान प्रस्तावों का मूल्यांकन करना चाहिए।

• अनुसंधान के प्रासंगिक उद्देश्यों, विधियों, जोखिमों और असुविधाओं के बारे में अनुसंधानकर्ता को पहले से ही जानकारी देनी होगी। इस जानकारी को इस तरह से अवगत कराया जाएगा कि यह पूरी तरह से उसे समझ में आ जाये। अनुसंधानकर्ता की सहमति स्वैच्छिक, बिना दबाव, जबरदस्ती या बल-प्रयोग के होगी।

• शोध के परिणामों के प्रकाशन से पहले किसी भी अनुसंधान में भाग लेने से इनकार करने के लिये या अपना नाम वापस लेने के लिए अनुसंधानकर्ता स्वतंत्र होगा। इस तरह के इनकार से उस के अधिकार पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

• उन पात्रों से, जो किसी सम्बन्ध पर निर्भर हैं, (उदाहरण के लिये विद्यार्थी, बुजुर्ग, चुनौतीपूर्ण निपुणता से सीखने वाले), पूर्व सहमति प्राप्त करने के संबंध में विशेष ध्यान रखा जाएगा।

• एक नाबालिग के मामले में, न केवल माता-पिता या संरक्षक की सहमति ली जाएगी, अपितु उस बच्चे से भी सहमति ली जायेगी बशर्ते उसमें पर्याप्त परिपक्वता और समझ हो।

• अनुसंधान में प्राप्त गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल अनुमोदित अनुसंधान प्रोटोकॉल में निर्दिष्ट प्रयोजनों के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

• शोध परिणामों का प्रकाशन ईमानदार और परिशुद्ध होगा।

• शोध रिपोर्टों के प्रकाशन में उन पात्रों की पहचान की अनुमति नहीं होगी, जो उस शोध में शामिल रहे हैं।

सिद्धांत 4

भाषा परीक्षक अपने पेशे-सम्बन्धी ज्ञान या कौशल, जहाँ तक कि वह उनमें प्रवीण है, के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देंगे।

व्याख्या

• भाषा परीक्षक जानबूझकर अपने व्यावसायिक ज्ञान या कौशल का उपयोग उन उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए नहीं करेंगे, जो उनके परीक्षा देने वालों के हितों के लिये हानिकारक हों। जब परीक्षक का हस्तक्षेप परीक्षा देने वालों के लिये सीधे-सीधे लाभदायक नहीं है (उदाहरण के लिए जब उन्हें एक प्रवीणता परीक्षा के लिये,जिसकी रूपरेखा किन्ही दूसरी परिस्थितियों के लिये बनाई गई हो, परीक्षण पात्र के रूप में कार्य करने के लिए कहा जाता है),तो इसकी प्रकृति को पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाएगा।

• किसी समाज के प्रचलित नैतिक, धार्मिक इत्यादि मूल्यों के साथ गैर-अनुरूपता, या एक अवांछित प्रवासी की हैसीयत, भाषा की क्षमता का आकलन करने के लिये एक निर्धारक कारक नहीं होंगे।

• जो भी कानूनी परिस्थितियाँ हों, भाषा परीक्षक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यंत्रणा या सजा के दूसरे क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक रूपों के इस्तेमाल में भाग लेंगे नहीं। (देखें टोक्यो की घोषणा 1975)

सिद्धांत 5

भाषा परीक्षक अपने पेशे से सम्बन्धित ज्ञान का विकास जारी रखेंगे और अपने ज्ञान को सहकर्मियों एवँ अन्य भाषाओं के व्यवसायियों से साझा करते रहेंगे।

व्याख्या

• पेशे-सम्बन्धी भूमिका के लिए लगातार सीखना और अपने ज्ञान को बढ़ाना मूलभूत है; ऐसा करने में विफल होना परीक्षा देने वालों के लिये हानिकारक होगा।

• भाषा परीक्षकों को निरंतर शिक्षा के लिये उपलब्ध विभिन्न तरीकों का उपयोग करते रहना होगा। इनमें निरंतर भाषा परीक्षण में भागीदारी के कार्यक्रम और पेशे से सम्बन्धित सम्मेलन, और पेशे से सम्बन्धित प्रासंगिक प्रकाशनों को नियमित रूप से पढ़ना शामिल हो सकते हैं।

• भाषा परीक्षकों को अपने पेशे से सम्बन्धित ज्ञान का विकास करने के लिये अपने सहकर्मियों

एवँ भाषा के अन्य प्रासंगिक पेशेवरों के साथ बातचीत करने के अवसरों को एक महत्वपूर्ण साधन की तरह लेना होगा।

• भाषा परीक्षक मान्यता प्राप्त पत्रिकाओं में प्रकाशन के द्वारा या बैठकों में भाग लेकर अपने नये ज्ञान को साझा करेंगे।

• भाषा परीक्षकों से यह अपेक्षा होगी कि वह भाषा परीक्षकों के प्रशिक्षण में शिक्षा और पेशे-सम्बन्धी विकास तथा उस प्रशिक्षण के लिये महत्वपूर्ण मार्गदर्शिकायें बनाने में योगदान करेंगे।

• भाषा परीक्षक भाषा के व्यापक क्षेत्रों के छात्रों की शिक्षा में योगदान करने के लिए तैयार रहेंगे।

सिद्धांत 6

भाषा परीक्षक भाषा परीक्षण की अखंडता को कायम रखने की जिम्मेदारी में सहभागी होंगे।

व्याख्या

• भाषा परीक्षक भरोसे की भावना और सहकर्मियों में परस्पर जिम्मेदारी को कायम रख कर अपने पेशे की अखंडता को प्रोत्साहित करेंगे और उसे बढ़ावा देंगे। ऐसे मामलों में, जिन में राय में अंतर होता है, एक-दूसरे की अवमानना न कर के, अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से एवँ सम्मान के साथ अभिव्यक्त किया जाना चाहिए।

• भाषा परीक्षक मानदंडों का विकास और उनका प्रयोग समाज के हित में करते हैं, इसलिये उनकी स्थिति विशेषाधिकारों वाली है, जो अपने साथ उनके पेशे के कार्य और उनके व्यक्तिगत जीवन के उन पहलुओं में जो उनके कार्य की अखंडता को प्रतिबिंबित करती हैं, में उचित व्यक्तिगत नैतिक मानक बनाए रखने का दायित्व लाती है।

• यदि भाषा परीक्षकों को अपने सहकर्मी के किसी अव्यावसायिक आचरण के बारे में पता चलता है, तो उन्हें उचित कार्यवाही करनी होगी; जिसमें प्राधिकारी वर्ग को शिकायत करना शामिल हो सकता है।

• इस आचार संहिता का अनुपालन करने में विफलता को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा और इस के लिए कठोर दंड दिया जा सकता है, जिसमें 'आईएलटीए' की सदस्यता रद्द करना शामिल है।

सिद्धांत 7

भाषा परीक्षकों को अपनी सामाजिक भूमिकाओं में भाषा परीक्षण, आकलन और शिक्षण सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करना होगा, उन सेवाओं के न्याय-संगत तरीके से आवंटन को बढ़ावा देना होगा और समाज की शिक्षा के सम्बन्ध में भाषा को सीखने और भाषा में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए के लिये योगदान करना होगा।

व्याख्या

• भाषा परीक्षण के प्रावधानों/ सेवाओं में सुधार लाने को बढ़ावा देने के लिए भाषा परीक्षकों का एक विशेष कर्तव्य है, क्योंकि उनके कई परीक्षा देने वाले नागरिक नहीं होते और अपनी पैदायश से भाषा न बोलने वाले की हैसीयत के कारण उनके पास सामर्थ्य नहीं होता।

• भाषा परीक्षकों को अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर उन्हें सलाह देने के लिये तैयार रहना होगा, जो भाषा परीक्षण सेवाओं के प्रावधान के लिए जिम्मेदार हैं।

• भाषा परीक्षकों को सलाहकारों की तरह कार्य करने के लिये तैयार रहना होगा और यह सुनिश्चित करने के लिये कि भाषा परीक्षण के लिये परीक्षा देने वालों के लिये यथा सम्भव उत्तम भाषा परीक्षण सेवायें उपलब्ध हों, वे दूसरों से सहयोग करेंगे।

• भाषा परीक्षकों को परामर्श देने वाले वैधानिक, स्वैच्छिक और व्यावसायिक निकायों, जो भाषा परीक्षण सेवाओं के प्रावधान में भूमिका निभाते हैं, के साथ काम करने के लिए तैयार रहना होगा।

• यदि वित्तीय सीमाओं या किन्ही अन्य कारणों से सेवायें न्यूनतम मानकों से नीचे गिर जाती हैं, तो भाषा परीक्षक उपयुक्त कार्रवाही करेंगे। विशेष रूप से, भाषा परीक्षकों को ऐसी सेवाओं से खुद को असम्बद्ध करना पड़ सकता है, जो कि उनके परीक्षा देने वालों के लिए हानिकारक हैं।

• भाषा परीक्षकों को समाज में प्रासंगिक वैज्ञानिक जानकारी और स्थापित पेशे से सम्बन्धित मान्यताओं की व्याख्या करने और उन्हें प्रचारित करने के लिए तैयार रहना होगा। ऐसा करते हुए, भाषा परीक्षक इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे कि वह किसी मान्यता प्राप्त व्यावसायिक निकाय के प्रवक्ता हैं या नहीं। यदि उनके अभिव्यक्त किये गए विचार सामान्य तौर पर माने गए मान्य विचारों के विपरीत हैं, तो उन्हें ऐसा बताना होगा।

• भाषा परीक्षकों के लिए यह युक्तिसंगत होगा कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध सामाजिक-राजनीतिक, संवेदनशील मुद्दों, जैसे कि वंश, हानि और बच्चों का पालन-पोषण का सार्वजनिक बहस में योगदान करें।

• भाषा परीक्षक अपने पेशे से सम्बन्धित ज्ञान के आधार पर अपनी शिक्षक की भूमिका और नागरिक के रूप में अपनी भूमिका में अंतर रखेंगे।

• इस सिद्धांत के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, भाषा परीक्षक यह ध्यान रखेंगे कि वह अपना व्यक्तिगत प्रचार करने और अपने सहकर्मियों की अवमानना करने से बचेंगे।

• भाषा परीक्षक यह स्पष्ट करेंगे कि वह यह दावा नहीं करते (और दावा करते प्रतीत भी नहीं होंगे) कि केवल उनके पास ही संबंधित ज्ञान है।

सिद्धांत 8

भाषा परीक्षक जिस समाज में काम करते है, उसके प्रति अपने दायित्वों के बारे में, इस बात को स्वीकारते हुए कि कई अवसरों पर उनके परीक्षा देने वालों और दावेदारों के प्रति उनके दायित्वों और जिम्मेदारियों में विरोधाभास हो सकता है, सचेत रहेंगे।

व्याख्या

•जब परीक्षा के परिणाम संस्थानों (सरकारी विभागों,व्यावसायिक निकायों, विश्वविद्यालयों, विद्यालयों, कंपनियों) की तरफ से प्राप्त किए जाते हैं, तो भाषा परीक्षकों का दायित्व होता है कि वह उन परिणामों की बिलकुल सही जानकारी दें, चाहे वह परीक्षा देने वालों एवँ अन्य दावेदारों (परिवार, संभावित नियोक्ता इत्यादि)को कितने ही अप्रिय क्यों न लगें।

• जिस समाज में वे काम करते हैं, उसके सदस्य के रूप में, भाषा परीक्षकों को उस समाज के लिये परीक्षण की आवश्यकताओं के दायित्व को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह स्वयं उनसे सहमत हों या न हों। जहाँ उनकी असहमति पर्याप्त रूप से इतनी मजबूत है कि वह एक विवेकशील विरोध के योग्य है, तो उनके पास अपनी पेशे से सम्बन्धित सेवाओं को वापिस लेने का अधिकार होना चाहिये।

सिद्धांत 9

भाषा परीक्षक विवेक के आधार पर अपनी सेवाओं को रोकने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए नियमित रूप से अपनी परियोजनाओं का सभी दावेदारों पर संभावित प्रभावों, दोनों ही अल्पकालिक और दीर्घकालिक, के बारे में विचार करेंगे।

व्याख्या

• व्यावसायिक व्यक्ति के रूप में, भाषा परीक्षकों की जिम्मेदारी है कि वह उनके समक्ष प्रस्तुत की गई परियोजनाओं के नैतिक परिणामों का मूल्यांकन करें। यद्यपि वे सभी संभव सम्भावनाओं पर विचार नहीं कर सकते, तो भी उन्हें सम्भावित परिणामों का विस्तृत मूल्यांकन करना चाहिए और, जहाँ उनके विचार में वह परिणाम व्यावसायिक रूप से स्वीकार्य नहीं हैं, तो उन्हें अपनी सेवाओं को वापिस ले लेना चाहिए। ऐसे मामलों में, आदतन उन्हें अपने साथी भाषा परीक्षकों से यह निर्धारण करने के लिये उनके दृष्टिकोण से उनकी किस प्रकार की सहमति बनती है, परामर्श करना चाहिये और जहाँ उनके सहकर्मी भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं, तो वहाँ उन्हेंविवेक के आधार पर अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को कायम रखने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखना चाहिये।

© सर्वाधिकार सुरकधषकधषत 'आईएलटीए'